

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

55/2016

मंगलचन्द्र vs आकरमल

नं. 10

अपीलाधी व वकील अपीलधी अनुपस्थित।
 अपीलधी व वकील अपीलधी को कंडे
 कार ठाखाज लगवाडु गडु। अंतिम ठाखा
 5.00 P.M पर लगवाडु गडु। कंडे उपस्थित
 नही आया। अतः यह अपील महम
 दाखली महम पेशवी में खाशेसु की
 जाती है। पत्रवली फैसल शुमार होकर
 नम्बर ले कम हो। तहत अध्यालय
 निश्चित स्थित है। पत्रवली बाद
 तकमिल जाणा दारिकत इच्छत है।
 आदेश सुनाया गया।

दिना
 इतिरिक्त संभागीय प्रायुक्त
 चयपुर



Reader

५३

अपील संख्या 55/2016

प्रार्थनापत्र अति :
समक्ष संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर राजस्थान
जयपुर

2016/00134

- 1- मंगलचन्द पुत्र सेडुराम उम्र 40 वर्ष
- 2- राजेन्द्र पुत्र उदाराम उम्र 41 वर्ष
- 3- फुलचन्द पुत्र उदाराम उम्र 27 वर्ष
- 4- झाबरमल पुत्र सेडुराम उम्र 45 वर्ष
- 5- बनवारी पुत्र उदाराम उम्र 45 वर्ष
- 6- हरलाल पुत्र सेडुराम उम्र 38 वर्ष
- 7- सुरज्ञान पुत्र सेडुराम उम्र 33 वर्ष
- 8- सुभाष पुत्र सेडुराम उम्र 27 वर्ष
- 9- छोटूराम पुत्र मुरलीधर उम्र

समस्त जाति बलाई निवासी
नोरंगपुरा, तहसील खण्डेला,
जिला सीकर (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

- 1- झाबर मल पुत्र श्री भूदाराम जाति जाट, निवासी जानकीपुरा, तहसील व पुलिथा थाना खण्डेला जिला सीकर (राज.)
- 2- तहसीलदार तहसील मुख्यालय खण्डेला जिला सीकर

-विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय न्यायालय

श्रीमान् तहसीलदार खण्डेला नामांतरण के विरुद्ध दिनांक 30-10-2015

मान्यवर महोदय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि केता द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, खण्डेला के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 37, 40, 41, 42 तन शिवपुरा में से भूमि का विक्रय पत्र लेख दिनांक 20-11-2014 को पंजीबद्ध करवाया था जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। उक्त अराजियात के सम्बन्ध में पूर्व न्यायालय आर.ए.ए. सीकर का स्थगन था अब माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14-09-2015 द्वारा स्थगन आर.ए.ए. सीकर को कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। अतः बैनामे को राज बैनामें का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। श्रीमान्

श्रीमान् पत्र

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि केता द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, खण्डेला के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 37, 40, 41, 42 तन शिवपुरा में से भूमि का विक्रय पत्र लेख दिनांक 20-11-2014 को पंजीबद्ध करवाया था जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ। उक्त अराजियात के सम्बन्ध में पूर्व न्यायालय आर.ए.ए. सीकर का स्थगन था अब माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 14-09-2015 द्वारा स्थगन आर.ए.ए. सीकर को कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है। अतः बैनामे को राज बैनामें का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। श्रीमान्

श्रीमान् पत्र